

कार्यालय आदेश संख्या...११८/१८.....

श्री अजीत कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द्र महतो, सहायक लोको पायलट अन्तर्गत डीजल लॉबी/ वाराणसी को NIP सं.या/555/5/20/3004 दिनांक 10.04.2018 के द्वारा दीर्घ दण्ड आरोप दिनांक 27.10.2017 के संदर्भ में मंयाई (ओएण्डएफ) वाराणसी द्वारा तत्काल प्रभाव से रेल सेवा से हटाये जाने ( Remove from service) का दण्ड आरोपित किया गया है ।

अतः श्री अजीत कुमार, सहायक लोको पायलट अन्तर्गत डीजल लॉबी वाराणसी को दिनांक 10.04.2018 से रेल सेवा से निष्कासित किया जाता है ।

उक्त पर वमंयाई( ओएण्डएफ) /वाराणसी महोदय का आदेश प्राप्त है ।

(सहायक कार्मिक अधिकारी)  
कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)  
वाराणसी  
दिनांक 12.04.2018

सं. का/या/पीसी/अजीत कुमार/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. वमंयाई (ओएण्डएफ)/वाराणसी ।
02. वमंविप्र/वाराणसी ।
03. मुख्य कू नियंत्रक/वाराणसी ।
04. मुख्य शक्ति नियंत्रक/ वाराणसी
05. मुख्य कार्याधी/यांत्रिक बिल ।
06. संबंधित कर्मचारी ।
07. कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
08. संबंधित कर्मचारी की सेवापुस्तिका ।
09. मंडल मंत्री, नरमू/ अजा/अजजा एसो. वारा ।
10. अन्य प्रति ।

(सहायक कार्मिक अधिकारी)  
कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)  
वाराणसी